बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 15/15–16

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला कल्याण कार्यालय (स्थापना लेखा) सहरसा।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – अनु0 जाति, जन जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल सहरसा।

   दिनांक— 3.03.2010 से 30.08.2010 तक।

2. श्री प्रमोद कुमार उप निदेशक कल्याण , कोशी प्रमण्डल सहरसा।

   दिनांक– 30.08.2010 से 23.06.2011 तक।

3. श्री राजेन्द्र राय वि0 प्र0 से0, उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल सहरसा।

   दिनांक– 23.6.2011 से 29.07.2011 तक।

4. श्री अरविन्द कुमार, उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

   दिनांक– 29.07.2011 से 31.3.12 तक।

(ड़) अंकेक्षित अविध के लेखा प्रभारी , पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

(1) श्री प्रमोद कुमार, वि0 प्र0 सेवा, जिला कल्याण पदा0 25.03.09 – 20.07.11 तक।

(2) श्री अवधेश राय वि0 प्र0 सेवा, जिला कल्याण पदा0 20.07.11 – 18.01.12 तक।

(3) श्री अरविन्द कुमार वि0 प्र0 सेवा, जिला कल्याण पदा0 19.01.12 से 31.3.12 तक।

(4) श्री दिवाकर झा प्रधान लिपिक 01.04.10 से 31.03.11 तक।

(5) श्री चन्द्रशेखर नारायण साह प्रधान लिपिक 31.3.11 से 31.03.12 तक।

(6) श्री सुरेश प्रसाद नाजिर (लेखापाल) 01.04.10 से 31.03.12 तक।

(2) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एवं कार्यकाल :– परिशिष्ट 'अ' पर द्रष्टव्य।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम –

1. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा– वर्त्तमान नाजिर
2. श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव स0 शि0 – प्रध्यानाध्यापक अं0 अंक उ0 वि0 सहरसा।
3. श्री राम लोचन प्र0 यादव स0 शि0 – छात्रावास अधिक्षक अ0 वि0 अ0 उ0 वि0

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम –

1. श्री अरविंद कुमार सिंह, व0 अं0– 2
2. श्री अमर नाथ भगत ,व0 अं0 –2
3. श्री भोला नाथ मण्डल, वरीय अंकेक्षक–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 04.01.2014 पुनः 09.06.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – 25.08.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – $60\frac{2}{3}$ कार्य दिवस समेकित रूप में।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – विभागीय ज्ञापांक 3256 वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना दिनांक 16.09.1960 एवं ज्ञापांक 139 दिनांक 19.12.2013 में निहित निदेशानुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – जिला कल्याण कार्यालय सहरसा का प्रधान कार्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों के शैक्षणिक विभाग हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना हैं। जिससे छात्रों का शिक्षा क्षेत्र में अत्यधिक विकास हो सके तथा छात्रों को आर्थिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग के बच्चों/परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर चहुमुखी विकास का रास्ता प्रस्स्व करना, इसके लिए विशेष कर माडा, विशेष अंगीभूत योजना चलाकर अर्थिक पुनरूथान करना इत्यादि हैं। साथ ही इस कार्यालय द्वारा अल्प संख्यकों के समुदायों के लिए छात्रवृत्ति एवं अन्य कई कल्याण कारी योजनाएँ संचालित होती हैं।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – लेखा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं। जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि व्यय आवंटन के अन्तर्गत ही

किया गया है एवं बचत की राशि प्रत्यार्पित किया हुआ पाया गया। अंकेक्षण में पाया गया कि सरकारी राशि को पूर्व में बचत खाते में रखा गया था। परन्तु अर्पित ब्याज को सहायक रोकड़ पुस्त में ढ़ोया जा रहा था। इसे कोषागार में जमा करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया पाया गया।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :– कोषागार अभिलेखों एवं कम्प्यूटर से निकासी एवं जमा राशि का कोषागार सत्यापन शत् प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन बार–बार अनुरोध के बाबजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे अनुपालन की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय द्वारा वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया इसलिए अनुपालन नहीं हो सका।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

अंकेक्षित अवधि वर्ष 10–11 एवं 11–12 में विभिन्न मदों स्थापना एवं अल्पसंख्यक में प्राप्त राशियों से संबंधित वर्षवार आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर अंकित हैं। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राप्त राशियों में से खर्च के उपरान्त शीष 2225 (नियोजन एं प्रशासन) मद में एक बड़ी बचत की राशि प्रार्त्यापण किया गया है इसका मूल कारण स्वीकृत बल का नियोजन नहीं हैं। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

अंकेक्षण अवधि तक दो तीन जिला कल्याण पदाधिकारी का स्थानान्तरण के फलस्वरूप रोकड़ के प्रभार के लेन– देन में बैंक समाधान विवरणी के आधार पर प्रभार नही लेकर

मौखिक रूप में लिया गया। उल्लेखनीय है कि सामान्य रोकड़ पुस्त में अंकित राशि के भौतिक सत्यापन हेतु बार–बार बैंक विवरणी की माँग की जाती रही है परन्तु माँग के बाबजूद भी अंकेक्षण समाप्ति तक बैंक विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया। रोकड़ पुस्त भी अद्यतन संधारण नहीं पाई गई हैं। बैंक विवरणी से समान्य रोकड़ पुस्त में अंकित राशि का मदवार सत्यापन नहीं होने के कारण राशि की गबन की संभावना से इंनकार नहीं किया जा सकता हैं।

उल्लेखनीय है कि जिला कल्याण कार्यालय सहरसा द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति के मदों की राशि समेकित रूप से एक ही रोकड़ पुस्त संधारण किए जाने के कारण विभिन्न मदों की राशि की जाँच में अकेक्षण को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा हैं।

अतः उच्चधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अविलम्ब अपने स्तर से बैंक समाधान विवरणी प्राप्त कर मदों के राशि की भौतिक जाँच कर ले जिससे अंकित राशि की प्रमाणिकता सत्यापित किया जा सके। साथ ही उठाई गई अपत्ति का अनुपालन कर अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं लौटाई गई। जो अंकेक्षण के प्रति उदासीन एवं लापरवाही का धोतक हैं। दिनांक 31.3.12 के संवरण शेष की राशि रू0 7,85,66,859.70 का मदवार एवं बैंकवार विवरणी निम्न प्रकार हैं जिसका सत्यापन कार्यालय द्वारा नहीं कराया गया।

क्र0 सं0	मद का नाम	राशि
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उ0 वि0 सहरसा के	234344.00

	भोजन आदि	
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्य उ0 वि0 सहरसा के शिक्षकों के वेतन	शून्य
3	अनु0 जाति/जन जाति अत्याचार अनुदान के वेतन	1268884.00
4	माडा योजना	713430.00
5	कल्याण स्थापना शिर्ष 2225	252387.15
6	अम्बेदकर अनु0 उ0 वि0 अग्रसर के भोजन आदि	3145487.00
7	अम्बेदकर अ0 उ0 वि0 अग्रसर शिक्षकों के वेतन आदि	245212.00
8	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	31143077.00
9	अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	22868446.00
10	सूचना का अधिकार	1134.00
11	अनु0 जन0 जाति छात्रवृत्ति	390022.00
12	स्वरोजगार योजना	50863.72
13	अवासीय योजना	1390481.00
14	पिछड़ी जाति गृह निर्माण योजना	298102.00
15	सूद	1093282.00

16	विशेष अंगीभूत योजना	9309166.00
17	विविध	4339039.00
18	बलिका समृद्धि योजना	1823503.00
	योग–	78566859.87

बैंक विवरणी दिनांक 31.3.12

क्र0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	यूको बैंक सहरसा	18220200000020	18860876.00
2	पंजाब नेशनल बैंक सहरसा	571	40152.55
3	पंजाब नेशनल बैंक सहरसा	CA- 500	150840.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया सहरसा	CA 11098089199	16663440.18
5	स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया सहरसा	30338969398	139895.00
6	केनार बैंक सहरसा	3133101000377	385039.00
7	बैंक ऑफ इण्डिया सहरसा खाता सं0	CA 38	25776335.00

8	बैंक ऑफ इण्डिया सहरसा खाता सं0	926	7276.00
9	बैंक ऑफ इण्डिया सहरसा खाता सं0	44701011000491	4164009.40
10	के0 के0 जी0 वी0 सहरसा	CA 15165	149733.00
11	यूनाईटेट बैंक ऑफ इण्डिया	1655010009836	8044412.00
12	जिला नजारत	—	1000.00
13	अग्रिम	—	2511757.00
14	अभिश्रव	—	1664599.86
15	नगद	—	7494.88
		योग—	78566859.87

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :—

अंकेक्षित कार्यालय जिला कल्याण कार्यालय सहरसा का स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न हैं।

भाग–2

(5) रूपये 2055.00 क्रीत खाद्य सामग्री का दुर्विनियोग :–

वर्ष 10–11 के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उ0 वि0 सहरसा के छात्रावास उपस्थिति पंजी खाद्य भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी तथा अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 45/10–11 के द्वारा रूपये 48499.00 कोषागार से निकासी की गई थी जिसके विरूद्ध विभिन्न तिथियों को विभिन्न अभिश्रवों के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक द्वारा खरीद एवं वितरण की गई थी। जिसके जाँच में पाया गया कि दिनांक 1.4.10 से 5.4.10 तक छात्रावास का संचालन विधिवत बन्द था। जिसमें किसी छात्र की उपस्थिति छात्रावास उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं थी। फिर भी छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रावास बन्द की स्थिति में खराब होने वाले सामग्रियों का क्रय दिखाया पाया गया। जिसका वितरण भी वितरण पंजी में र्दज र्दशायी गई पाई गई। विवरणी परिशिष्ट "घ" पर अंकित हैं।

उठाई गई आपत्ति के आलोक में संतोष जनक जबाव नहीं दी गई नही अनुपालन कर आपत्ति लौटाई गई।

अतः स्पष्ट होता है कि दिनांक 1.4.10 से 5.4.10 के दौरान छात्रावास बन्द होने के बावजूद सामान का क्रय दिखाकर रूपये 2050.00 का दुर्वनियोग किया गया हैं। अतएव उत्तरदायी व्यक्ति पर आवश्यक कारवाई अपेक्षित हैं। कृत कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(6) रूपये 1385.00 का क्रीत सामान के रूप में दुर्वनियोग :–

वर्ष 10–11 के अन्य पिछड़ी वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय सहरसा के खाद्यान आय–व्यय पंजी वितरण पंजी, अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि मे0 गोपाल जेनरल स्टोर,

कायस्थ टोला चौक, सहरसा का अभिश्रव संख्या 21/10–11 के रूपये 1385.00 का भुगतान 18.8.10 को किया गया पाया गया जो विपत्र संख्या 45/10–11 की राशि 48499.00 में सन्नीहीत हैं। अद्योलिखित सामग्रियों का खाद्यान भण्डार पंजी के आय एवं वितरण पंजी में दर्ज नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि सामान का क्रय हुआ ही नहीं केवल काल्पनिक अभिश्रव प्रस्तुत का उसकी निकासी कर राशि 1385.00 का क्रीत सामान के रूप में दुर्वनियोग किया गया हैं। इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई लेकिन अनुपालन कर नहीं लौटाई गई।

अतः स्पष्ट है कि भोजन प्रभारी छात्रा अधीक्षक द्वारा गलत अभिश्रव प्रस्तुत कर राशि की निकासी की गई, जिसपर गलत रूप में उनके द्वारा नगद भुगतान प्रमाणित किया गया हैं। क्योंकि सामान का आपूर्त्ति एवं वितरण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। तथा अपने स्तर से जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराई जाए। विवरणी निम्न प्रकार है :–

विपत्र सं0 एवं राशि	फर्म का नाम एवं तिथि	अभिश्रव सं0	सामग्री	मात्रा	दर	कीमत	भुगतान तिथि
45/ 10–11	मे0 गोपाल जेनरल स्टोर, कायस्ट टोला चौक सहरसा 6.4.10	91/10–11	ब्रेड	10 पैकेट	10/–	100.00	18.8.10

			आलू	50 kg	4/–	200.00	"
			अण्डा	1 कार्टून	580/–	580.00	"
			चीनी	5 kg	35/–	175.00	"
			नमक	5 kg	10/–	50.00	"
			काबली चना	4 kg	10/–	280.00	"
					योग–	1385.00	

(7) विशेष अंगीभूत योजनाओं में दी गयी अग्रिम राशि रू0 489000.00 का सम्भावित दुर्विनियोग :–

अकेक्षित वर्ष में विशेष अंगीभूत योजना के तहत् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कहटा के अनुशंसा पर (पत्रांक 01 दिनांक 3.12.2009) बकरी पालन हेतु 5(पाँच) योजना का चयन (पंचायत सुलिन्दावाद–3, ममडगरा–2) जिसका प्रक्कलन तकनीकी एंड प्रशासनिक स्वीकृति कुल 97500.00 प्रतियोजना पायी गयी। उपर्युक्त योजना में दी गई अग्रिम तथा किये गये कार्य का पूर्ण विवरण निम्नवत् पाया गया।

क्र0	पंचायत	योजना का नाम	अभिकर्त्ता का नाम	अग्रिम का भुगतान	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	सुलिदावाद	बकरी पालन हेतु	श्री ब्रहम्देव प्रसाद	3 योजना X97500/=293400.	14.5.10	031218 /14.5.10

		सेड का निर्माण	पंचायत सेवक	00		
2	ममडगरा	तदैव	श्री नन्दन साव पंचायत सेवक	2 योजना X97500/=195600.00	30.12.10	031952/30.12.10
				489000.00		

कार्य का प्रगति का योजना

1. प्रथम –3 योजना में कार्य – मापी पुस्त रू0 153400.00 – मापी पुस्त छायाप्रति संचिका जिसपर कनीय अभियन्ता का हस्ताक्षर मास्टर रॉल, सामग्री का अभिश्रव संलग्न नहीं तत्पश्चात कोई कार्य नहीं।
2. द्वितीय – 2 योजना में कार्य – मापी पुस्त – 36225.00 – तदैव

189625.00

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उक्त 5 योजना में कुल 489000.00 एक बार में ही अभिकर्त्ता को भुगतान (पूर्ण प्राक्कलित राशि) किया गया था तो दूसरी ओर अंकेक्षण तिथि तक कुल फार्म 5 योजना में मात्र 189625.00 का ही दिखाया गया था। कुल 189625.00 के कार्म का मापी पुस्त भी छाया प्रति संलग्न था, तथा योजनाओं में होनेवाली सामग्री यथा ईंट, सिमेंट बालू इत्यादि तथा मजदूरी भुगतान से सम्बन्ध मास्टर रौल भी संलग्न नहीं पाया गया।

उक्त स्थिति में स्पष्ट होता है कि अनियमित रूप से एकबार में कुल राशि अग्रिम स्वरूप देना, आंशिक कार्य का मापी पुस्त छाया प्रति का संलग्न किया जाना एवं सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं होना , सरकारी राशि के संभावित दुर्वनियोग का संकेत हैं। साथ ही पाँच सेड के विरूद्ध 2 शेड का आंशिक कार्य होने फोटो भिन्न–भिन्न पोज में निकालकर पाँच फोटो रक्षित किया पाया गया। योजना किस जमीन एवं प्लैट अवस्थित हैं। व्योरा भी संलग्न नहीं था। योजना की उपर्युक्त वस्तिविक स्थिति गम्भीर एवं वास्तविकता से पड़े प्रतीत होता हैं। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा योजना के वास्तविकता का स्थलीय जाँच कर तद्नुसार कार्रवाई (विधि सम्मत सहित की जाए) तत्काल अग्रिम राशि रू0 489000.00 को सम्भावित दुर्वनियोग की श्रेणी में रखा जाता हैं।

(8) रूपये 48800.00 का संभावित र्दुवनियोग :–

वर्ष 10–11 के रा0 अम्बेदकर उ0 वि0 अमरपुर के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि विपत्र संख्या 156/10–11 से रूपये 362000.00 की निकासी दिनांक 15.3.11 को की गई थी। जिसके अन्तर्गत श्री सुनिल कुमार वी0 डब्लू ओ0 जो छात्रावास अधिक्षिक थे उनके द्वारा छात्रों की एक सूची प्रस्तुत की गई थी जिसपर छात्र जयराम कुमार एवं अन्य 121 छात्र के नाम अंकित था। जिस पर प्रध्यानाध्यापक एवं छात्रों का हस्ताक्षर प्राप्त नहीं था। न ही प्रत्येक छात्र को कितनी राशि भुगतान प्राप्त कराया गया इसका कोई जिक्र या प्राप्ति रसीद भी नहीं था। सिर्फ 200X2X122 = 48800.00

लिखकर जिला का0 पदा0 का हस्ताक्षर प्राप्त था। जिस पर पारित एवं स्वीकृत भी नहीं लिखा पाया गया। जो अनियमित एवं संदेहात्मक भुगतान प्रतित होता हैं। नगद भुगतान करने सम्बन्धित आदेश की भी माँग की गई लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया। पृच्छा करने पर बताया गया कि यह छात्रों को दवा, साबुन, सोडा, तेल इत्यादि की आंवटित राशि का नगद भुगतान या पोस्ट ऑफिस के तहत किया गया हैं। यह राशि दिनांक 31.3.10 को ही भुगतान नगद, रोकड़ से नाजिर के द्वारा नगद/खाता में प्र0 क0 पदा0 के समक्ष किया गया था जिसकी निकासी दिनांक 15.3.11 को विपत्र संख्या 156/10–11 द्वारा की गई थी।

अतः प्रथम दृष्टया यह अभिश्रव संदिग्ध एवं बोगस प्रतीत होता हैं। क्योकि कार्यालय द्वारा छात्रों के सूची को ही 200X2X122 = 48800.00 का बिना अभिश्रव पारित एंव स्वीकृत किए हुए तथा छात्रों के बिना प्राप्ति रसीद के एवं डाकघर में जमा से सम्बन्धित प्रमाण के भुगतान बोगस एवं सम्भावित दुर्विनियोग का धोतक हैं। निकासी के पूर्व ही 31.3.10 को राशि वितरण, की गयी थी। जबकि नगद वितरण हेतु नाजिर को कोई अग्रिम या आदेश प्राप्त नहीं था।

अतः 48800.00 का कल्पित अभिश्रव दिखाकर भुगतान की गयी राशि सम्भावित दुर्वनियोग प्रतित होता हैं। प्रशासी विभाग अपने स्तर से जाँच कर सम्पुष्ट होने पर उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाई की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार,पटना को भी अवगत कराई जाए।

(9) रू0 1050.00 का क्रीत सामान का सम्भावित दुर्विनियोग :–

वर्ष 10–11 के अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उ0 वि0 सहरसा के भोजन मद सम्बन्धित सहायक रोकड़ पुस्त अभिश्रव, आय व्यय एवं वितरण पंजी के मिलान में पाया गया कि "मे0 ओम किराना एवं जेनरल स्टोर सहरसा" से दिनांक 1.10.10 को सरसों तेल एवं अन्य समानों का क्रय रूपये 7250.00 में किया गया था। जिसमें सरसों तेल 30 किलों @ 70/ की दर से 2100.0 की खरीद की गई थी जिसका सत्यापन भण्डार पुस्त से किया गया। जिसमें 15 किलोग्राम ही भण्डार पंजी में प्रविष्टि पाई गई तथा वितरण किया पाया गया। इस प्रकार 15 किलोग्राम कम प्रविष्टि एवं वितरण पाई गई। इस प्रकार 15X70 = 1050.00 का दुर्वनियोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन कर भी नहीं लौटाई गई।

अतः 1050.00 का सरसों तेल कम प्रविष्टि दिखाई गई। राशि सम्भावित दुवर्नियोग का प्रतिक हैं। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। तथा अपने स्तर से जाँचकर संतुष्ट होने के उपरान्त तदनुसार आवश्यक कार्यवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

विवरणी निम्न प्रकार हैं :–

क्र0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम	समान का नाम	मात्रा	दर	किमत भुगतान	तिथि
1	2/10–11	ओम किराना स्टोर, सहरसा	सरसो तेल एवं	30 kg	70/–	2100.00	15.3.11

		1.10.10	अन्य				

(10) वेतन मद में दुहरा भुगतान रूपये 3700.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2225 कल्याण स्थापना के वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी के जाँच में पाया गया कि श्री अजय कुमार प्र0 क0 पदा0 सहरसा का मूल वेतन 14760.00 था परन्तु मार्च 10 से जून 10 के वेतन में वृद्धि कर मूल वेतन 15210.00 पर वेतन की गणना कर भुगतान किया गया साथ ही विपत्र सं0 20/10–11 द्वारा मार्च 10 का वेतन भुगतान में 27 प्रति0 के बदले 35 प्रति0 महँगाई भत्ता का भुगतान किया गया जबकि विपत्र सं0 15/10–11 द्वारा जनवरी 10 से मार्च 10 का बकाया म0 भत्ता भी (35–27=8 %) भुगतान किया पाया गया। जो दुहरा भुगतान हैं।

विवरणी निम्न प्रकार है :– भुगतान की गई राशि की विवरणी :–

कर्मी का नाम पदनाम	विपत्र सं0	माह	वेतन	म0 भत्ता 35%	म0 भत्ता 5%	चि0 भ0	कुल वेतन	भुगतान तिथि
श्री अजय कुमार प्र0 क0 पदा0	20/10–11	मार्च 10 एवं अप्रैल 10	15210X2 = 30420	10647	1520	400	42987.00	12.6.10
,,	22/10–11	मई 10	15210	5324	760	200	21494.00	12.6.10

"	36/10–11	जनू 10	15210	5324	760	200	21494.00	
							85975.00	

(वास्तविक) देय राशि की विवरणी :–

मार्च 10	14760	3985 27%	738	200	19683.00
अप्रैल 10	14760	5166 35%	738	200	20864.00
मई 10	14760	5166	738	200	20846.00
जून 10	14760	5166	738	200	20864.00
					82275.00

इस प्रकार मूल वेतन एवं म0 भत्ता मद में अधिक भुगतान की गई राशि रूपये (85975–82275)= 3700 सम्बन्धित एवं जबावदेय व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा की जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराई जाए।

(11) रू0 955.00 चावल मद में अधिक खपत दिखाई गई राशि वसूली योग्य :–

डा0 अम्बेदकर उच्च विद्यालय अमरपुर के खाद्य से सम्बन्धित स्टॉक पंजी, वर्ष 2011–12 के जाँच में पाया गया कि चावल मद में माह जनवरी 12 में कुल खपत 1698.500 kg दिखाया गया साथ ही आटा भण्डार पंजी में शेष नहीं होने के कारण

दिनांक 30.1.12 को 66 kg एवं 31.1.12 को 65 kg चावल का व्यय किया गया था। इस प्रकार चावल खपत जनवरी 12 माह में कुल 1698.500+ 66.000+65.000 = 1829.500 kg हुआ । इस अवधि में चावल की खरीद का विवरण निम्न प्रकार है जिसकी भण्डार पंजी में प्रविष्टी दर्ज पाई गई।

पूर्व का शेष – 68.750 kg

1.1.2012 – 350.000 kg

2.1.2012 – 500.00 kg

4.1.2012 – 500.00 kg

4.1.2012 – 500.00 kg

कुल– 1918.750.00 kg

इस प्रकार 1918.750–1829.500 = 89.250 kg चावल अवशेष बचना चाहिए। जबकि चावल मद में अवशेष दिनांक 31.1.12 को 218.750 kg दिखाया गया। जिसमें दो दिन 30.1.12 एवं 31.1.12 को शाम में आटा अवशेष नहीं रहने के कारण चावल छात्रों को खिलाया गया जिसमें 66+65 =131 kg खपत नहीं दिखाकर खपत 175 kg वितरण पंजी में दिखाकर शेष 218.750–175.00 = 43.750 kg दिखलाया गया।

अतः (89.250–43.750.00) = 45.500 किलो चावल खपत के रूप में ज्यादा दिखाया गया। जिसका मूल्य 45.500X @ 21.00/= 955.00 रूपये होता हैं। जो

सम्बन्धित भोजन प्रभारी से वसूल कर कोषागार में जमा की जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराई जाए।

(12) रू0 810.00 सहायक रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में कम र्दशाई गई राशि वसूली योग्य :–

वित्तिय वर्ष 10 –11 के सहायक रोकड़ पुस्त "अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति " मद के योग एवं संतुलन के जाँच में पाया गया कि रोकड़ पुस्त के पृष्ठ –5 पर दिनांक 13.05.10 को संवरण शेष के रूप में रूपये 2057750.00 होना चाहिए था परन्तु रोकड़ पुस्त में संवरण शेष रूपये 2056940.00 दिखलाया पाया गया। इस प्रकार (2057750–2056940) = 810.00 रूपये कम दर्शाई पाई गई। तदनुसार सामान्य रोकड़ पुस्त से धारित पाया गया चूँकि सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष दिनांक 31.3.12 के संवरण शेष के विरूद्ध जमा राशि में कोई वृद्धि अंकित नहीं हैं।

उक्त स्थिति में संवरण शेष की राशि 810.00 कम दर्शायी गई राशि सम्बन्धित एवं जबावदेय व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा की जाए तथा की गई कार्यवाही से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराई जाए।

(13) अपूर्ण विशेष अंगीभूत योजना पर व्यय रूप में 489000.00 आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 10–11 एवं 11–12 के विशेष अंगीभूत योजना से सम्बन्धित संचिका संख्या 12–13/2009 अनसूचित जाति उप योजना से सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदा0 कहरा के पत्रांक 01 दिनांक 3.12.2009 के द्वारा प्रस्तावित जब र्निमित छः (6) योजना उपस्थापित किया गया, जिसमें जाँच योजना (पंचायत सुभिदावाद –3 तथा ममडगरा पंचायत–2) बकरी पालन हेतु सेड का निर्माण हेतु चयन किया गया। जिसका प्राक्कलन, तकनिकी एवं प्रशासनीय

स्वीकृति रूप में 97800.00 प्रति योजना स्वीकृत पाया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र0	पंचायत	योजना का नाम	योजना की संख्या	स्वीकृत राशि	अभिकर्त्ता का नाम	भुगतान तिथि
1	वुलिन्दाबाद	बकरी सेड का निर्माण	3x@	97800/– = 293400.00	श्री ब्रहम्मेव प्रसाद पं0 सेवक	14.5.10
2	ममडगरा	"	2x@	97800/– = 195600.00	श्री नन्दन साव पं0 सेवक	30.12.10
			योग –	489000.00		

जबकि जाँच में पाया गया कि पाँच सेड में से सिर्फ दो ही सेड निर्माण किया गया जिसका फोटो (अर्पूण) भिन्न–भिन्न पॉजिसन से निकालकर पाँच फोटो प्रस्तुत किया गया जो वी0 डी0 ओ0 कहरा द्वारा सम्पादित पाया गया।

संलग्न साक्ष्य में संलग्न फोटो एवं मापी पुस्त अपूर्ण कार्य दर्शाता है। जमीन सरकारी या निजि हैं। तथा इसका निर्माण किस प्लौट पर की गई। कोई साक्ष्य संवेदक/अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

इस निर्माण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभितक उपलब्ध नहीं की गई हैं। साथ ही संलग्न मापी पुस्त का फोटो कॉपी सिर्फ दो संलग्न किया गया हैं। जिसपर एक का

153400.00 रूपये एवं दूसरे का 36225.00 ही कार्य दशार्या गया है जिसपर जे0 ई0 का हस्ताक्षर प्राप्ति हैं। परन्तु भुगतान कुल रूपये क्रमशः चेक संख्या 031318 दिनांक– 14.5.10 से रूपये 293400.00 तथा चेक संख्या 031952 दिनांक– 30.12.10 द्वारा रूपये 195600.00 का इस प्रकार कुल राशि रूपये 489000.00 भुगतान किया गया पाया गया। जो गलत हैं। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का भी अनुपालन कर नहीं लौटाई गई।

अतः स्पष्ट होता है कि संवेदक/अभिकर्त्ता द्वारा अधूरा निर्माण किया गया हैं। क्योकि साक्ष्य के रूप में संलग्न फोटो एवं मापी पुस्त भी अधूरा कार्य की पुष्टि करता हैं। परन्तु प्रक्कलित राशि पूरी 489000.00 का भुगतान जिला कल्याण कार्यालय द्वारा कर दी गई। साथ ही मास्टर रौल, क्रित समानों ईट, बालू, सिमेंट इत्यादि का अभिश्रव भी साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं तथा पूर्ण निर्माण का उपयोगिता भी उपलब्ध नहीं कराया गया जो अपूर्ण कार्य का पूरा रकम भुगतान बेबुनियाद हैं। इस प्रकार 489000–(153400+36225) = 299375.00 का अधिक भुगतान किया गया।

अतः अपूर्ण योजना की पूरी राशि 489000.00 का किया गया जो गलत हैं। प्राशासी विभाग अपने स्तर से जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त विधि संगत कार्रवाई की जाए तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराई जाय। तबतक साक्ष्य के अभाव में भुगतान आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं।

(14) सम्बद्ध अभिलेखों के अभाव क्रय सामग्री मूल्य रू0 61674.00 आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 11–12 के अन्य पिछड़ी जाति कन्या आवसीय उच्य विद्यालय सहरसा के भोजन समाग्री मद इत्यादि के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि मे0 के0 पी0 एण्ड सन्स, गाँधी पथ चौक, सहरसा (सप्तनार्ययर) द्वारा चौकी 50 पीस @ 1233.48/– की दर से रूपये

61674.00 का क्रय दिनांक– 9.6.11 को की गई जिसकी प्रविष्टी रोकड़ पुस्त में दिनांक– 1.7.2011 को पाया गया।

जिसके निविदा स्वीकृति आदेश, क्रय आदेश, अनुमोदित दर के सत्यापन हेतु संचिका क्रय सम्बधि 6– 3/99–2000 – 2006–09 प्रस्तुत की गई जिसमें कार्यालय उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल सहरसा द्वारा "हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक– 19.1.12 को सामग्री की आपूर्त्ति हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से निविदा आमंत्रित नहीं हो सकी। फलस्वरूप कोई भी दर, क्रय आदेश एवं स्वीकृति आदेश पारित नहीं हो सका।

परन्तु इस क्रिया के पूर्व ही दिनांक– 9.6.11 को प्रध्यानाध्यापक अन्य पिछड़ी जाति कन्या अवासीय उच्च विद्यालय सहरसा द्वारा मे0 के0 पी0 एण्ड सन्स से चौकी (6'x3') @ 12.33= 48/- की दर से 50 पीस रूपये 61674.00 का नगद क्रय 9.6.11 को किया गया। इसकी प्रविष्टी न तो अकस्मिकता पंजी में अंकित पाई गई नहीं रोकड़ पुस्त में विपत्र का जिक्र ही पाया गया। यह अभिश्रव में प्रध्यानाध्यापक के नाम से क्रय किया गया तथा इसका नगद भुगतान भी प्रा0 अ0 द्वारा की गई, तथा प्रध्यानाध्यापक द्वारा ही पारित किया गया। तदोपरान्त जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा पारित किया पाया गया। भण्डार प्रविष्टि सम्बन्धि साक्ष्य बार–बार अनुरोध करने के बाबजूद तत्कालिन प्रध्यानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भंडार प्रविष्टि एवं वितरण की सत्यता की जाँच नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

पृच्छा करने पर वर्तमान प्रभारी प्रध्यानाध्यापक ने बताया कि उस समय के तत्कालिन प्रध्यानाध्यापक अपने समय के भण्डार पुस्त अपने साथ ही ले गये हैं। इसलिए भण्डार पुस्त अंकेक्षण में प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। क्योकि प्रभार में नहीं दिया गया हैं।

अतः बिना निविदा, क्रय आदेश, स्वीकृत दर के भण्डार प्रविष्टी के एवं वितरण के प्रध्यानाध्यापक द्वारा चौकी का नगद क्रय किया जाना तथा बार–बार मौखिक अनुरोध के बाबजूद भण्डार पुस्त एवं वितरण के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के फल्स्वरूप चौकी पर व्यय रूपये 61674.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं। अन्यथा की स्थिति में दुर्वनियोग की संज्ञा दी जा सकती हैं। अतः उच्चधिकारियों को ध्यायान इस ओर आकृष्ट किया जाते है कि इसकी जाँच अपने स्तर से कर ली जाए तथा स्थानान्तरण के समय– प्रभार का लेन– देन का समाधान स्थाई रूप से की जाए एवं बिना नो डूयूज के विरमित न किया जाए की गयी कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) को भी अवगत कराई जाए।

(15) वस्त्र मद की राशि रूपये 39000.00 का नगद वितरण नियम के विरूद्ध राषि आपत्ति अन्र्तगत :–

वर्ष 10–11 के अन्य पिछड़ी जाति आवासिय उ0 वि0 सहरसा के भोजन, वस्त्र आदि व्यय सम्बंधि अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि स्कूल के प्रध्यानाध्यापक द्वारा वर्ग – x के छात्रों को वस्त्र मद में @ 1500/– की दर से रूपये 39000.00 का भुगतान दिनांक– 15.3.11 को किया पाया गया जो नियम के प्रतिकूल हैं।

बिहार– सरकार कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0 – 10/विविध 10/2000 –347 दिनांक– 2.3.2007 के अनुसार वस्त्र पर 1500/– प्रति छात्रा विवरणी –2 के अनुसार सलवार–2, फ्रार्क–2, नाईटी–2, समीज–2, अतः कुर्त्ता–2, स्वेटर–2, तौलिया–2, चप्पल–2,

जूता–2 इत्यादि प्रतिवर्ष उचित फर्म से क्रय कर सिलाई इत्यादि कर उपरोक्त अदद् के रूप में वितरण करने का प्रवधान हैं। परन्तु प्रध्यानाध्यापक/कार्यालय द्वारा नियम की अनदेखी कर नगद भुगतान किया गया। जो नियम के विरूद्ध हैं।

निम्न अभिश्रवों में अविश्रव संख्या 1/10–11 से 4/10–11 वर्ग – x के छात्राओं को विपत्र संख्या 160/10–11 के द्वारा कुल रूपये 77571.00 के अन्तर्गत रूपये 39000.00 का नगद भुगतान किया गया। विवरणी परिशिष्ट "ड़" पर संलग्न हैं।

अतः वस्त्र मद की राशि रूपये 39000.00 वस्त्र अदद रूप में विवरण नहीं कर नगद विवरण कर नियम की अनदेखी की गई। तथा दिये गये रूपयें से वस्त्र (पैंट, शर्ट इत्यादि) खरीद की गई की नहीं इस सम्बन्ध में छात्रों द्वारा कोई भी क्रीत कपड़े का अभिश्रव या सिलाई का अभिश्रव की प्रस्तुत किया। जिससे वस्त्र (पैट, शर्ट) की आपूर्त्ति हुई की नहीं स्पष्ट नही होता इस प्रकार दिए गये राशि का उपयोगिता प्रमाणित नही होता। इस संबंध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार के नगद भुगतान की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता तथा सुझाव दिया जाता है कि भुगतान की सार्थकता की जाँच अपने स्तर से करके संतुष्ट हो लें। तबतक रू0 3900.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं। तथा किए गई कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

(16) बिना क्रय आदेश की आपूत्ति एवं भंडार प्रविष्टि के अभाव में रूपयें 24396.00 का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 10–11 में अन्य पिछड़ी जाति कन्या उच्च विद्यालय सहरसा के सामग्री (वस्त्र) खरीद सम्बन्धि अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि दिनांक 5.11.09 को आयोजित निविदा के

आलोक में 10.11.09 को क्रय समिति के बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी सहरसा के पत्रांक– 804 – 2 दिनांक 15.12.09 के आलोक में मे0 उत्सव एवं के0 पी0 एण्ड सेन्स को आपूर्त्ति हेतु चयन किया गया। जिसमें पत्रांक 802.02 दिनांक– 15.12.09 के आलोक में आपूर्त्ति करने का आदेश स्वीकृत दर पर दिया गया था। जिसमें जंधिया (लड़की), तौलिया , टेप इत्यादि खरीद करने का आदेश सम्मलित नहीं था। परन्तु मे0 उत्सव द्वारा अभिश्रव संख्या –1/10–11 दिनांक– 17.2.11 को जंधीया 214 पीस @ 44/– की दर से 9416.00 का आपूर्त्ति किया गया पाया गया।

उसी प्रकार मे0 के0 पी0 एण्ड संस द्वारा अभिश्रव संख्या 3/10–11 दिनांक– 17.2.11 को तौलिया 107 पीस @ 70/– की दर से 7490.00 एवं टेप 214 @ 35/– की दर से 7490.00 कुल 24396.00 का आपूर्त्ति अभिश्रव द्वारा दिखलाया गया। विवरणी परिशिष्ट "च" पर हैं। जिसका आपूर्त्ति आदेश एवं स्वीकृति दर नहीं पाया गया। फिर भी आपत्तिकर्त्ता द्वारा जंधीया, तैलिया, एवं टेप की आपूर्त्ति की गई। जिसका भण्डारण एवं वितरण सम्बधि पंजी बार–बार माँग करने के बाबजूद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह आपूत्ति किसके आदेश से की गई तथा यह किस विपत्र के विरूद्ध भुगतान किया गया। अभिश्रव या रोकड़ पुस्त में अंकित नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः बिना क्रय आदेश की आपूर्त्ति की गई सामग्री का भण्डार प्रविष्टी एवं वितरण नहीं होने की वस्तुस्थिति की जाँच वरीय पदाधिकारी द्वारा की जाए। तबतक रूपयें 24396.00 की राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं एवं किये गए कार्यवाई में वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

(17) उत्क्रमित बोर्ड परिक्षार्थी को रहने एवं आने–जाने पर व्यय रूप में 5050.00 सरकारी निदेश के अभाव में राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 10–11 एंव 11–12 के अम्बेदकर आवासीय उच्य विद्यालय अमरपुर के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि वर्ग–x के उत्क्रमित छात्रों को बोर्ड परीक्षा दिलाने हेतु अमरपुर से सहरसा एवं सहरसा से अमरपुर का भाड़ा तथा ठहरने हेतु किराये का मकान पर कुल रूपये 5050.00 व्यय किया गया था। विवरणी परिशिष्ट "छ" पर संलग्न हैं।

अभिश्रव संख्या 17/10–11 एवं 23/11–12 के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता कि कितने छात्र उत्क्रमित हुए तथा कितने छात्रों को ठहरने हेतु कितना कमरा किराया पर लिया गया। जिसका किराया 2500/– एवं 1200/– भुगतान किया गया। उसी प्रकार अभिश्रव संख्या 18/10–11 में दर्शाये गये गाड़ी संख्या BR-19B/0515 किस प्रकार की गाड़ी हैं। जिससे 27+3=30 छात्रों को 300/– आने एवं 300/– जाने का भाड़ा भुगतान किया गया। स्पष्ट नहीं है अभिश्रव संख्या 22/11–12 द्वारा टमटम से अमर पुर से सहरसा 27 छात्रों को वक्सा ढुलाई @ 35/ की दर से 210.00 का भुगतान किया गया जो गलत गणना हैं। जिसका किराया 945.00 होता हैं। जबकि 27+3=30 छात्रों को @ 18/- की दर से अमरपुर से सहरसा टमटम भाड़ा 540.00 का भुगतान (श्री विलास) टमटम चालक को किया गया था। लेकिन लौटने का भाड़ा का दावा नहीं किया गया। साथ ही भाड़ा किराया भुगतान सम्बन्धि किसी प्रकार का प्राप्ति रसीद सम्बन्धि साक्ष्य नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

इस प्रकार के खर्च के बारे में प्रध्यानाध्यापक एवं छात्रावास अधिक्षक से पत्र/आदेश के संबंध में पृछा करने पर बताया गया कि उत्क्रमित छात्रों पर व्यय करने का कोई

पत्र/आदेश उपलब्ध नहीं हैं। यह पूर्व से परम्परा चली आ रही हैं। उसी आधार पर भुगतान किया गया हैं।

अतः स्पष्ट है कि उत्क्रमित छात्रों पर परीक्षा देने हेतु मकान किराया या आने–जाने के नाम पर व्यय करने का कोई प्रवधान या आदेश नहीं है नही इस प्रकार के खर्च हेतु उच्चाधिकारियों से आदेश ही प्राप्त किया गया था। साथ ही अभिश्रव एक सादे कागज पर बनाया गया था जो गणना एवं दावा के अनुसार भी गलत हैं। अतः कार्यालय द्वारा गलत एवं नियम के विरूद्ध अभिश्रव तैयार कर राशि की निकासी कर र्खच किया गया प्रतित होता हैं।

अतः प्रशासी विभाग के पदाधिकारियों का ध्यान इस तरह के अनियमित व्यय की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा इसकी जाँच अपने स्तर से करके गलत परम्परागत व्यय पर रोक लगाया जाये । तबतक रूपये 5050.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं। तथा किए गये कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(18) रूपये 2643.00 का साक्ष्य अप्रस्तुत भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 10–11 के अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय अमरपुर के खेल कूद सम्बन्धि अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि अभिश्रव संख्या 14/10–11 से 3 छात्रों का रेल टिकट @ 75/– की दर से 225.00 सहरसा जं0 से गया जं0 का टिकट नं0 – 62357439/10.2.11 अभिश्रव के रूप में संलग्न किया गया परन्तु 20 छात्रों X75.00 = 1500.00 का अभिश्रव पारित किया गया जो सादे कागज पर बनाया गया था।

उसी प्रकार अभिश्रव संख्या 15/10–11 से 2 छात्रों @ 76/–की दर से 152.00 गया जं0 से सहरसा जं0 का वापसी जेनरल टिकट संख्या 80663964/13.2.11 को अभिश्रव

के रूप में संलग्न किया गया था परन्तु 20 छात्रों का @ 76/–की दर से 1520.00 का अभिश्रव पारित कर भुगतान दिनांक 15.3.11 को किया गया पाया गया।

इससे स्पष्ट नहीं होता है कि 20 छात्रों का क्या नाम हैं एवं किस वर्ग का हैं। जिन्हें किस खेल हेतु चयन किया गया। इस सम्बन्ध में बार–बार अनुरोध के बाबजूद चायनित छात्रों की सूची एवं खेल में भाग लेने जाने छात्रों का गया जाने का टिकट या साक्ष्य अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः चयनित छात्रों की सूची एवं जाने –आने टिकट या साक्ष्य के अभाव में रूपये 2643.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं। अन्यथा की स्थिति में रूपये 2643.00 सम्बन्धित एवं जबाब देय व्यक्ति से वसूली योग्य होगी।

विवरणी निम्न प्रकार हैं –

क्र0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	टिकट नं0	विवरण	दर	किराया	भुगतान तिथि
1	155/10–11	14/10–11	62357439 10.2.11	3 छात्रा	75/	225.00	15.3.11
2	155/10–11	15/10–11	80663964 13.2.11	2 छात्रा	76/	152.00	15.3.11
						377.00	

अतः भुगतान की गई राशि 1500+1520 =3020 तथा अभिश्रव प्रस्तुत की गई 225+152 = रू0 377.00 जो 2643.00 अधिक हैं। साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य होगी। तब तक 2643.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं।

(19) विशेष अंगीभूत योजना मद से रूपये 158854.00 का कम्प्यूटर क्रय की राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 10–11 एवं 11–12 के विशेष अंगीभूत योजना के सहायक रोकड़ पुस्त एवं सम्बन्धित संचिका संख्या 2.01.2009 के जाँच में पाया गया कि मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड सहरसा से कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री का क्रय किया गया जिसका भुगतान दिनांक– 3.6.10 एंव 30.11.11 को पाया गया। जो बिना वित्त विभाग के स्वीकृति के विचलन कर अनियमित राशि र्खच की गई थी। संचिका में संलग्न पत्र संख्या 5/3eA-24/2001/488 दिनांक 4.3.09 में निदेशक अनु0 जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग के अनुसार "अगर मूलयांकन एवं अनुश्रवण हेतु अलग से राशि कर्याकित नहीं किया जया हो तो मुख्यालय से इस संबंध में दिया निर्देश प्राप्त कर कार्यवाई कर कम्प्यूटर/फैक्स/फोटो कॉपीयर क्रय किया जा सकता हैं। परन्तु बिहार सरकार कल्याण विभाग के पत्र सं0– 4/SecA-11/2006/03 दिनांक 4.1.07 के अनुसार सहरसा जिला को विशेष अंगीभूत योजना अन्तर्गत मांग –पत्र के आलोक में रूपये 53.00 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति राशि प्राप्त थी जिसमें अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रूपये 1.59 लाख स्वीकृत थी। जिसमें रूपये 158854.00 का कम्प्यूटर एवं अन्य समाग्री पर व्यय किया पाया गया। जिसका वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई न ही मुख्यालय से क्रम सम्बन्धि दिशा निर्देश ही प्राप्त किया गया। जो

अनियमित हैं। इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई लेकिन अनुपालन कर नहीं लौटाई गई। विवरणी परिशिष्ट "ज" पर संलग्न हैं।

चूँकि यह राशि अनु0 जाति के द्वितार्थ विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के विशेष केन्द्रिय सहायता की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होता है ताकि अनु0 जाति के परिवारों को समाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को बल मिल सकें।

इस केन्द्रीय सहायता का उदेश्य परिवारो मुखी आय उत्पादन योजना यथा– गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन करने वाले परिवारों का आय वृद्धि करना हैं। ताकि गरीबी रेखा से उपर उठ से परन्तु कार्यालय द्वारा ऐसा न कर अनियमित ढ़ग से राशि का विचलन कर बिना वित्त विभाग के स्वीकृति के तथा बिना मुख्यालय के दिशा उदेशय के उपनिदेशक के पत्र के आलोक में भारत सरकार की राशि से ऑफिस हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य सामाग्री का क्रय कर लिया गया। जिसका भण्डार प्रविष्टि जाँच हेतु भण्डार पंजी भी उपलब्ध नहीं कराया गया। तथा शेष राशि 18425.00 भी बिना निविदा बिना स्वीकृति दर एवं क्रय आदेश के जि0 क0 पदा0 सहरसा द्वारा क्रय कर ली गयी। जिसका भी भणडार प्रविष्टी का सत्यापन, भण्डार पंजी के अभाव में नही किया गया। पृच्छा करने पर बताया गया कि पूर्व में भण्डार पंजी का संधारण ही नही की गई हैं।

अतः सुझाव है कि विशेष अंगीभूत योजना मद से विचलन कर क्रय किये गये कम्प्यूटर की राशि 158854.00 को नियमित एंव वित्त विभाग से स्वीकृति प्रदान कर ली जाए एवं भण्डार पंजी संधारण कर प्रविष्टि कर ली जाए। तबतक भण्डार पंजी में प्रविष्टि के अभाव में तथा वित्त विभाग के सहमति के क्रय किये गये कम्प्यूटर पर व्यय रूपये 158854.00 आपत्ति

अन्तर्गत रखी जाती हैं। अन्यथा की स्थिति में तदनुसार कारवाई अपेक्षित होगी। तथा क्रित कार्यकारी से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत करायी जाए।

(20) रूपये 2152.00 मरम्मति पर अनियमित व्यय आपत्ति अर्न्तगत :–

वर्ष 11–12 के वाहन मद के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि विपत्र संख्या 64/11–12 के अन्तर्गत मे0 गणेश ओटो मोबाईल को अभिश्रव संख्या – 188/11–12 द्वारा गाड़ी मरम्मति पर रूपये 2152.00 व्यय दिखाया गया था। जिसपर सिंफ गाड़ी संख्या BR-19A/6666 अंकित था परन्तु कार्यालय का नाम अंकित नहीं था। क्या यह गाड़ी विभागीय हैं तथा यह किसके आदेश से मरम्मत कराई गई। इस सम्बन्ध में साक्ष्य उपस्थापित करने हेतु मौखिक लिखित अनुरोध कर मरम्मति आदेश, गाड़ी का हिस्ट्री बुक, लॉग बुक इत्यादि प्रस्तुत करने की मॉंग की गई। जिससे पत चले कि गाड़ी खड़ी थी या सड़क पर चल रही थी। लेकिन अभिलेख उपलब्ध नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन भी नहीं की गई। जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।

गाड़ी के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर मौखिक रूप से बताया गया कि इस कार्यालय को विभागीय गाड़ी आवंटित नहीं हैं। यह भाड़े की गाड़ी मालिक भुगतान के आधार पर चलती हैं। जैसा की ज्ञात है कि भाड़े की गाड़ी पर मरम्मति खर्च करने का प्रवधान नहीं हैं। फिर भी कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया। जो नियम के विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार आदेश या एग्रीमेन्ट अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं की गई।

अतः गाड़ी का हिस्ट्री बुक, लॉग बुक, मरम्मति आदेश या एग्रीमेन्ट, मरम्मति के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध नहीं की गई। इसलिए उपरोक्त साक्ष्य के आभव में रूपये 2152.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं–

चालक	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम	गाड़ी संख्या	विवरण	किमत	भुगतान तिथि
सुरेश महतो	64/11–12	188/11–12	गणेश ओटो मोबाईल सहरसा	BR-19A 6666	बेल क्रेक ओम खाई इत्यादि	2152.00	28.3.11

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मरम्मति होने का वास्तविकता एवं भाड़े की गाड़ी के मरम्मति पर किये गये व्यय की समीक्षा, प्रशासी विभाग द्वारा कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) को अवगत पाया गया।

(21) निधि का विचलन, रूपये 202874.53 की असमायोजित अभिश्रव की वृद्धि आपत्ति अन्तर्गत :–

बिहार कोषागार संहिता के नियम 305 के साथ पठित बिहार वित्तिय नियमावली के नियम 115 के प्रवधानों के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मद देखने के लिए उत्तरदाई है कि व्यय उपलब्ध विनियोग के अधीन है कि नहीं। तथा बिना बजट प्रवधानों के सरकारी राशि का व्यय नहीं करना हैं।

जिला कल्याण कार्यालय सहरसा के वर्ष 10–11 एंव 11–12 के सामान्य रोकड़ पुस्त एवं असमयोजित अभिश्रव रोकड़ पंजी के जाँच में पाया गया कि दिनांक– 1.4.2010 को आपत्ति अभिश्रव रूप में 1461725.33 जो दिनांक– 31.3.12 तक बढ़कर अतः शेष के रूप में रूपये 1664599.86 असमायोजित अभिश्रव के रूप में पड़े हुए थे जो आपत्ति निर्गत तिथि

को बढ़कर 1875302.00 हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि अभिश्रव का समायोजन न कर राशि का विचलन की प्रक्रिया निंरतण जारी हैं। इस संबंध में आपत्ति उठाई गई थी लेकिन अनुपालन कर नहीं लौटाई गई।

उपरोक्त राशि का व्यय विभिन्न मदों में पड़ी राशि से किया गया था, जिसका विवरणी अभिश्रव रोकड़ पंजी में नहीं पाई गई कि राशि किस मद का या किस विपत्र का कितना हैं।

अतः सुझाव है कि अंकेक्षित अवधि में विचलन कर व्यय राशि रू0 202874.53 नियमानुसार किया जाए साथ ही दिनांक– 31.3.12 तक की कुल राशि रू0 1664599.86 को भी समायोजित किया जाए तथा इस प्रकार की व्यय पर रोक लगाई जाए तथा भविष्य में विचलन की राशि मदवार या विपत्र वार विवरण अंकित किया जाए। इस प्रकार निधि का विचलन कर रूपये 202874.53 को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं। कृत कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षक) विभाग , बिहार, पटना को भी अवगत कराई जाए।

(22) सेवा कर की राशि कटौती न कर सेवाकर के रूप में रूपये 2000.00 की क्षति :–

शीर्ष 2225 कल्याण के वेतन भुगतान पंजी एवं सहायक रोकड़ पुस्त तथा आयकर विवरणी के मिलान एवं जाँच में पाया गया कि कुछ कर्मचारियों के वेतन से सेवाकर की कटौती नहीं की गई नहीं आयकर अनुसूचि एवं वेतन विवरणी में पेशाकर की कटौती र्दशाई पाई गई। विकरण निम्न प्रकार हैं :–

चूँकि बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग के पत्रांक विक्रिकर /आयकर–4/2011–1950 दिनांक– 7.5.2012 एवं बिहार गजट संख्या 494 दिनांक– 6 सितम्बर 2011 के आलोक में – (i) रूपये 3 लाख से कम वर्षिक आय पर शून्य (ii) 3 लाख से उपर, 5 लाख तक – 1000/– वार्षिक (iii) 5 लाख से 10 लाख तक आयकर –

2000/– वार्षिक (iv) 10 लाख से उपर आय पर –2500/– वार्षिक सेवा कर की कटौती की जानी हैं। यह कटौती सितम्बर माह में किए जाने का प्रवधान हैं। जमा नही करने की स्थिति में फरवरी माह से कटौती की जाती हैं। पत्र की धारा –4 के अनुसार नहीं करने पर 100/– शास्ति अधिरोपित करने का प्रवधान हैं। जो नियोजक द्वारा जमा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः सम्बन्धित कर्मी से वर्ष 11–12 में सेवाकर की कटौती नहीं की गई जिससे रूपये 2000.00 सेवाकर के रूप में राजस्व की क्षति की गई। राशि सम्बन्धित एवं जबावदेय व्यक्ति से वसूल की जाए एवं नियम के धारा–4 के अनुसार 100/– प्रतिमाह शास्ति अधिरोपित की जाए। इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। विवरणी :–

क्रमांक	कर्मी का नाम पदनाम	वार्षिक आय वर्ष 11–12 में	देय सेवा कर की राशि	कटौती की गई राशि	अन्तर वसूली योग्य राशि
1	श्री नरेश पासवान जि0 क0 पदा0	308916.00	1000.00	शून्य	1000.00
2	श्री गणेश प्रसाद यादव स0 शि0 सह प्र0 प्र0 अं0 रा0 अ0 उ0 वि0 अमरपुर	564069.00	2000.00	1000.00	1000.00

				योग–	2000.00

(23) क्रीत सामानों पर वैट/बिक्रीकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप रूपये 20923.00 के राजस्व की क्षति :–

सामानों के क्रय से सम्बन्धित अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि विपत्रों द्वारा सामानों की क्रय की गई थी एवं विभिन्न आपूर्तिकत्ताओं को वैट सहित कुल राशि भुगतान की गई थी। परन्तु सामानों पर भुगतान की राशि पर वैट की कटौती न कर कुल वैट सहित भुगतान कर की गयी थी। या कटौती की भी गई जिसे कोषागार में जमा की गई की नहीं इसका साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कुल रूपये 20923.00 की क्षति हुई। पूर्ण विवरणी प्रशिष्ट 'झ' पर संलग्न हैं।

उल्लेखनिय है कि बिहार सरकार वित्त वाणिज्य कर विभाग के पत्रांक 524 बिक्री कर संविदा –01/05 दिनांक– 13.2.65 बिहार वैट अधिनियम 2005 के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले सामग्रियों के मूल्य पर उनके भुगतान के समय वैट/बिक्रिकर की कटौती करना अनिवार्य हैं। परन्तु कार्यालय द्वारा सामग्रियों के क्रय के पश्चात् क्रय मूल्य में शामिल वैट की कटौती किये बिना हैं। फर्म को भुगतान किया गया था या कुछ कटौती का गणना भी गलत पाई गई। कटौती की भी गई जिसका कोषागार जमा का चलान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः वैट सहित भुगतान की गई राशियों से वैट की राशि रूपये 20923.00 के राजस्व की क्षति को सम्बन्धित व्यक्ति से वसूलकर शीर्ष में जमा कर राजस्व की क्षति की कारवाई की जाए। एवं अंकेक्षण का सुझाव है कि राशि काट कर की सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता को राशि

भुगतान की जाए एवं वैट की राशि की गणना की जाँच कर सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार में जमा की जाए। तथा साक्ष्य को एक गार्ड फाईल में एकत्र किया जाए। साथ ही उसके लिए एक अलग से पंजी संधारण की जाए जिसमें यह अंकित हो कि सम्बोधित विपत्र/अभिश्रव से इतनी वैट की राशि कटौती की गई। एवं इस तारिख को कोषागार में जमा किया गया। इससे कर्रवाई की संभावना बिलकुल नहीं होगी। इसके लिए विधि सम्मत कार्यवाई की जाए एवं इसके परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराई जाए।

(24) अस्थायी अग्रिम राशि 312930.00 रूपयें का समायोजन नहीं :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम–611 के अनुसार किसी सक्ष्य पदाधिकारी की स्वीकृति से किसी विभागीय या सम्बन्धित उद्वेश्यों के लिए प्रदान किया गया अग्रिम का समायोजन कार्य समाप्ति के पश्चात् अभिश्रव संलग्न कर या राशि को वापसी कर जैसा भी मामला हो किया जाना अपेक्षित हैं एवं वित्तिय नियमावली के नियम 609(ii) के अनुसार पूर्व का अग्रिम राशि का समायोजन होने के पश्चात् ही अनुवर्त्ती अग्रिम स्वीकृत किया जाना चाहिए।

परन्तु जिला कल्याण पदाधिकारी सहरसा के वर्ष 10–11 एवं 11–12 के जाँच में पाया गया कि एक के बाद एक अग्रिम का भुगतान किया गया तथा अग्रिम का समायोजन एक साल बाद में किया पाया गया। जो नियम के प्रतिकूल हैं। इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई लेकिन अनुपालन कर आपत्ति नहीं लौटाई गई। विवरणी परिशिष्ट ''ञ'' पर संलग्न हैं।

अस्थाई अग्रिम रोकड़ पुस्त एवं अग्रिम के जाँच में अस्थाई अग्रिम की स्थिति इस प्रकार पाई गई :–

दिनांक1.4.2010 का प्रा0 शेष रूपये 3096371.00

वर्ष 10–11 एवं 11–12 में दियें गये अस्थाई

अग्रिम में समायोजन के उपरान्त शेष रूप में – 312930.00

3409301.00

दिनांक 1.4.10 से पूर्व दिये गये अग्रिम का समायोजन

वर्ष 10–11 एवं 11–12 में रूपये (–) 897544.00

अग्रिम की अवशेष राशि असमायोजित – 2511757.00

दिनांक 31.3.12 तक

इस प्रकार 1.4.10 के पूर्व दिये गये अग्रिम में कुल ऐसा है जिसका स्थानान्तरण हो गया हैं। लेकिन समायोजन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। शेष रूपये 312930.00 जो वर्ष 10–11 एवं 11–12 में दिए गये अग्रिम का अवशेष था उसका समायोजन शीध्र किया जाए एवं किए गये कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

(25) दिनांक – 31.3.12 को सामान्य रोकड़ पुस्त के विभिन्न शीर्षो में संवरण शेष के रूप में अव्यवहृत राशि रूपये 4605368.00 कोषागार में जमा योग्य :–

वर्ष 10–11 एवं 11–12 के सामान्य रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन के जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.12 को सामान्य रोकड़ पुस्त के निम्न शीर्षो में संवरण शेष के रूप में रूपये 4605368.00 अव्यवहृत राशि के रूप में पूर्व से ही रोकड़ पुस्त में ढोया जा रहा हैं। जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम –300 के प्रतिकूल हैं। नियामानुसार कोषागार से सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन राशि की निकासी उतनी ही की जानी हैं। जिसका तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो साथ ही भुगतान के पश्चात् बची हुई राशि को सम्बन्धित शीर्ष में

वर्ष के पश्चात् कोषागार में जमा कर देने का प्रवधान हैं। परन्तु कार्यालय द्वारा कोषागार से निकासी कर रोकड़ पुस्त में ढ़ोया जा रहा हैं। इसका अधिकांश राशि बैंक में जमा हैं। तथा सूद मद में दिनांक 1.4.10 के बाद प्रविष्टी रोकड़ पुस्त में नहीं हैं। इसके सत्यापन के लिए बैंक अद्यतन विवरणी की माँग की गई लेकिन उपलब्ध नहीं किया जा सका इसलिए सूद की अद्यतन गणना कर सत्यापन नहीं किया जा सका।

उठाई गई आपत्ति के अनुपालन में सिर्फ जमा करने का अश्वासन दिया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक जमा नहीं किया पाया गया।

अतः भविष्य में इस पर रोक लगाने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार के रोकड़ पुस्त में अन्तः शेष के रूप में अनुपयुक्त रूप से पड़ी बड़ी राशि का विचलन की सम्भावना बनी रहती हैं। तथा सरकार के बजट पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता हैं। इसलिए सूद की गणना कर अविलम्ब रूपये 4605368.00 अंतः शेष के रूप में पड़ी राशि कोषागार में जमा की जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए। विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	मद का नाम	1.4.10 का प्र0 शेष	31.3.11 का संवरण शेष	31.3.12 का संवरण शेष
1	अवासीय विद्यालय योजना	1390481.00	1390481.00	1390481.00
2	बालिका समृधि योजना	1823503.00	1823503.00	1823503.00

3	पिछड़ी जाति गृह निर्माण योजना	298102.00	298102.00	298102.00
4	सूद	1093282.00	1093282.00	1093282.00
				4605368.00

भाग– 3

(26) स्थायी सामग्री भण्डार पंजी का संधारण करना अपेक्षित :–

बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 132 के प्रवधानानुसार सभी प्राप्त समाग्रियों की जाँच एवं गणना के पश्चात् तत्सम्बंधी प्रमाण अभिश्रव इसकी प्रविष्ट भण्डार पुस्त में करना हैं। परन्तु लेखा जाँच के क्रम में स्थायी भण्डार पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता हैं कि स्थायी भण्डार पंजी की संधारण कराकर उसमें कार्यालय को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त समाग्रियों को प्रविष्ट कराया जाय और समय–समय पर इसमें दिखायी गई समाग्रियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाए।

(27) विभागीय पदाधिकारीयों द्वारा निरीक्षण नहीं करने के सम्बन्ध में।

बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 306– ए तथा बिहार पार्षदीय प्रर्कीण नियमावली के नियम 80–ए के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को प्रतिवर्ष प्रेषित करना अपेक्षित है कि लेखा एवं अन्य कार्य नियमाकूल ढंग से हो रहा था। अंकेक्षित अवधि के अन्तर्गत एक बार भी ऐसा नहीं किया गया था। अतः सक्षम पदाधिकारी से यह अपेक्षा है कि लेखा अभिलेखों के नियमानुकूल संधारण हेतु समय–समय पर कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन किया जाए।

(28) रोकड़ पुस्त का नियमानुकूल संधारण नहीं करने के सम्बन्ध में :–

इस लेखा की जाँच में पाया गया कि बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता– भाग–1 के नियमानुसार लेखा का संधारण नहीं किया गया था। रोकड़ पुस्तों का संधारण नियमानुकूल नहीं किया गया था। जाँच में पाया गया कि कतिपय प्राप्तियों को प्राप्ति तिथि में रेाकड़ पुस्त में नहीं लाकर उसके बाद की तिथियों में लाया गया था, तो कुछ प्राप्ति को रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पक्ष में लाया ही नहीं गया था। वर्ष 10–11 एवं 11–12 में सामान्य रोकड़ पुस्त में संवरण शेष का मदवार एवं बैंक वार विवरणी प्रायः अंकित नहीं किया गया था। र्सिफ वर्ष के अन्त में मदवार विवरण अंकित प्रायः किया पाया गया। उपर्युक्त अवधि में कभी भी कार्यालय प्रधान द्वारा लेखा का विस्तृत जाँच एवं संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर तत्सम्बंधी प्रमाण –पत्र अंकित नहीं किया गया था। साथ ही रोकड़ पुस्त महीनों से अद्यतन लिखी नहीं पाई गई। जो गंभिर त्रुटियाँ हैं।

अतः भविष्य में इन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो इस दिशा में प्रभावी कार्यवाई सक्षम पदाधिकारी से अपेक्षित हैं।

05/01/16

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) शिव नाथ कुमार प्रसाद, व0 अं0

(2) मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0 अं0

परिशिष्ट "क"

कंडिका "1'ट' से संबंधित

(क) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. विपत्र पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
2. सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11 एवं 11–12
3. सहायक रोकड़ पुस्त –
   1. 2225 स्थापना कल्याण , वर्ष 10–11 एवं 11–12
   2. अन्य पिछड़ी जाति क0 उ0 वि0 सहरसा के भोजन आदि वर्ष 10–11 एवं 11–12
   3. अन्य पिछड़ी जाति क0 उ0 वि0 सहरसा के शिक्षकों का वेतन वर्ष 10–11 एवं 11–12
   4. रा0 अम्बेदकर अनु0 उ0 वि0 अमनपुर के भोजन आदि वर्ष 10–11 एवं 11–12
   5. रा0 अम्बेदक अ0 नु0 वि0 अमनपुर के शिक्षकों का वेतन वर्ष 10–11 एवं 11–12
   6. अवासीय विद्यालय योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
   7. अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति वर्ष 10–11 एवं 11–12
   8. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वर्ष 10–11 एवं 11–12
   9. विशेष अंगीभूत योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
   10. माडा योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
   11. अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार वर्ष 10–11 एवं 11–12
   12. स्वरोजगार योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
   13. सूद वर्ष 10–11 एवं 11–12
   14. अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति वर्ष 10–11 एवं 11–12
   15. बालिका समृद्धि योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
   16. पिछड़ी जाति गृह निर्माण योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
   17. सूचना का अधिकार वर्ष 10–11 एवं 11–12
   18. विविध वर्ष 10–11 एवं 11–12
4. चेक निर्गत पंजी
5. अग्रिम पंजी
6. अग्रिम रोकड़ पंजी
7. वेतन भुगतान पंजी
   1. शीर्ष 2225 स्थापना कल्याण कार्यालय
   2. रा0 अम्बेदकर उ0 वि0 अमरपुर के शिक्षकों के वेतन
   3. रा0 अन्य पिछड़ी/जाति क0 उ0 वि0 सहरसा के शिक्षकों का वेतन
8. अभिश्रव गार्ड फाईल

9. भण्डार पुस्त अस्थाई आंशिक
10. छात्रवृत्ति वितरण पंजी
11. कार्यालय उपस्थित पंजी
12. आवंटन व्यय पंजी
13. असमायोजित अभिश्रव पंजी
14. छात्रावास उपस्थिति पंजी
15. केन्द्रीय भण्डार पंजी
16. स्वरोजगार योजना अभिलेख

अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. सेवा पुस्त
2. गाड़ी का लॉग बुक एवं हिस्ट्री बुक
3. चेक की अघकट्टी
4. स्थाई समानों का भण्डार पंजी
5. टेलीफोन लॉगबुक
6. स्वीकृत/चयनित छात्रों की सूची (छात्रवृत्ति हेतु)
7. अंगीभूत महाविद्यालयों/सरकारी/विद्यालयों की सूची
8. क्रम समिति द्वारा स्वीकृत कर तालिका
9. आदेश गार्ड फाईल
10. आवंटन पत्र/प्रपत्र का गॉड फाईल
11. सरकुलर गार्ड गार्ड फाईल
12. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग का
13. सभी बैंकों खातों का अद्यतन बैंक विवरणी
14. उठाई गई आपत्ति का अनुपालन

परिशिष्ट ''ख''

कंडिका ''3'' से सम्बन्धित

जिला कल्याण कार्यालय सहरसा (नियोजन एवं प्रशासन) शीर्ष 2225 के आवंटन व्यय, वर्ष 2010–11

क्रमांक	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यर्पण के पत्रांक / दिनांक
1	स्थापना (वेतन एवं भत्ते)	5208000.00	4839186.00	368814.00	शून्य	372–2 / 31.3.11
2	कार्यालय व्यय	25000.00	24994.00	6.00	शून्य	''
3	वाहन ईंधन एवं रख रखाव	40000.00	39995.00	5.00	शून्य	''
4	किराया महसूल एवं कर	1000.00	—	1000.00	शून्य	''

जिला कल्याण कार्यालय सहरसा (नियोजन एवं प्रशासन) शिर्ष 2225 के आवंटन व्यय, वर्ष 2011–12

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यर्पण के पत्रांक / दिनांक
1	वेतन	3600000.00	2877008.00	722992.00	शून्य	161–2 / 31.3.12
2	म0 भत्ता	1836000.00	1440660.00	395340.00	शून्य	''
3	मकान भाड़ा	306000.00	236653.00	69347.00	शून्य	''
4	चि0 भत्ता	39000.00	34400.00	4600.00	शून्य	''
5	विशेष भत्ता	3000.00	300.00	2700.00	शून्य	''
6	कार्यालय व्यय	25000.00	24996.00	4.00	शून्य	''
7	वाहन संधारण	40000.00	39998.00	2.00	शून्य	''
8	विद्युत मद	20000.00	शून्य	20000.00	शून्य	''
9	किराया महसूल	1000.00	शून्य	1000.00	शून्य	''
10	वर्दी	3000.00	शून्य	3000.00	शून्य	''
11	यात्रा भत्ता	25000.00	शून्य	25000.00	शून्य	

परिशिष्ट "ख"

कंडिका "3" से संबंधित

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवसीय विद्यालय के स्थापना एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धि आवंटन व्यय वर्ष 10–11

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यर्पण के पत्रांक / दिनांक
1	स्थापना (वेतन एवं भत्ते)	3701500.00	2686083.00	1015417.00	शून्य	378–2 / 31.3.11
2	समग्री एवं पूर्त्तिया	1200000.00	1064125.00	135875.00	शून्य	"
3	कार्यालय व्यय	10000.00	1989.00	8011.00	शून्य	"
4	यात्रा–भत्ता	7000.00	5500.00	1500.00	शून्य	"
5	वर्दी	1000.00	शून्य	1000.00	शून्य	"
6	विद्युत प्रभार	50000.00	शून्य	50000.00	शून्य	"
7	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति प्र0 वि0 / म0 वि0 / उ0 वि0	4000000.00	3999480.00	520.00	शून्य	370–2 / 31.3.11
8	प्रवैधिकी छात्रवृत्ति (BC)	50000.00	49500.00	500.00	शून्य	"
9	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (BC)	4000000.00	3999480.00	520.00	शून्य	"
10	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	400000.00	399960.00	40.00	शून्य	"

परिशिष्ट "ख"

कंडिका "3" से संबंधित

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवसीय विद्यालय के स्थापना एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धि आवंटन व्यय वर्ष 11–12

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यर्पण के पत्रांक / दिनांक
1	वेतन	2191617.00	1830845.00	360772.00	शून्य	158–2 / 31.3.12
2	म0 भत्ता	647936.00	647936.00	शून्य	शून्य	"
3	मकान किराया भत्ता	138920.00	138920.00	शून्य	शून्य	"
4	चि0 भत्ता	14000.00	14000.00	शून्य	शून्य	"
5	समाग्री प्रतिपूर्तिया	1700000.00	1679753.00	20247.00	शून्य	"
6	कार्यालय व्यय	10000.00	2000.00	8000.00	शून्य	"
7	विद्युत प्रभार	50000.00	शून्य	50000.00	शून्य	"
8	यात्रा भत्ता	7000.00	शून्य	7000.00	शून्य	"
9	व्यवसायिक सेवाएँ	250000.00	26129.00	223871.00	शून्य	"
10	वर्दी	1000.00	शून्य	1000.00	शून्य	"
11	प्रा0 वि0 / म0 वि0 / उ0 वि0 छात्रवृत्ति – 197 ब्लॉक पंचायत	2800000.00	2299910.00	500090.00	शून्य	162–2 / 31.3.12
12	प्रा0 वि0 / म0 वि0 / उ0 वि0 छात्रवृत्ति –277 शहरी शिक्षा	1000000.00	994450.00	5550.00	शून्य	"
13	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं अन्य पिछड़ी जाति (राज्य से बाहर एवं अन्य)	15000000.00	14995680.00	4320.00	शून्य	130–2 / 23.3.12

परिशिष्ट "ख"

कंडिका "3" से संबंधित

अम्बेदकर आवासीय उ0 वि0 अमर पुर के स्थापना एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धित आवंटन व्यय वर्ष 2010–11

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यार्पण के पत्रांक / दिनांक
1	स्थापना (वेतन+भत्ते)	4453960.00	4415390.00	38570.00	शून्य	377–2 / 31.3.11
2	समग्री एवं अपूत्तियाँ	4312800.00	1754132.00	2558668.00	शून्य	1075–2 / 13.12.10
3	कार्यालय व्यय	14000.00	2800.00	11200.00	शून्य	377–2 / 31.3.11
4	यात्रा भत्ता	54000.00	19530.00	34470.00	शून्य	"
5	वर्दी	2100.00	शून्य	2100.00	शून्य	"
6	विद्युत प्रभार	18000.00	शून्य	18000.00	शून्य	"
7	अनुजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (SC)	3338000.00	3335040.00	2960.00	शून्य	382 / 31.3.11 एवं 372–2 / 31.3.11
8	अस्वच्छ कार्य में लगे बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	220000.00	218300.00	1700.0	शून्य	381 / 31.3.11
9	अनुसूचित जन जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (ST)	238000.00	237420.00	580.00	शून्य	380 / 31.3.11 372–2 / 31.3.11 369–2 / 31.3.11
10	प्रवैधिकी छात्रवृत्ति (अनु0 जाति)	200000.00	199500.00	500.00	शून्य	372–2 / 31.3.11
11	अनु0जाति पुस्तक अधिकोष	13000.00	12991.00	09.00	शून्य	"

परिशिष्ट "ख"

कंडिका "3" से संबंधित

अम्बेदकर आवासीय उ0 वि0 अमर पुर के स्थापना एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धित आवंटन व्यय वर्ष 2011–12

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यर्पण के पत्रांक / दिनांक
1	वेतन	3100000.00	2845585.00	254415.00	शून्य	160–2 / 31.3.12
2	म0 भत्ता	1550000.00	1402747.00	147253.00	शून्य	160–2 / 31.3.12
3	मकान भाड़ा	232500.00	123956.00	108544.00	शून्य	160–2 / 31.3.12
4	चि0 भत्ता	36000.00	29600.00	6400.00	शून्य	160–2 / 31.3.12
5	विशेष भत्ता	960.00	700.00	260.00	शून्य	160–2 / 31.3.12
6	यात्रा भत्ता	15000.00	शून्य	15000.00	शून्य	153–2 / 30.3.12
7	कार्यालय व्यय	14000.00	5445.00	8555.00	शून्य	153–2 / 30.3.12
8	वर्दी	2100.00	शून्य	2100.00	शून्य	153–2 / 30.3.12
9	विद्युत प्रभार	18000.00	शून्य	18000.00	शून्य	153–2 / 30.3.12
10	समग्री एवं प्रति पूत्तियाँ	4312800.00	3674096.00	638704.00	शून्य	153–2 / 30.3.12
11	दूरभाष	9000.00	8944.00	56.00	शून्य	146–2 / 29.3.12
12	अनु0 जाति एवं जन जाति अत्याचार अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु होड़िग लगाने हेतु।	100000.00	100000.00	शून्य	शून्य	165–2 / 31.3.12
13	अनु0 जाति अवासीय विद्यालय अमरपुर के सामग्री एवं पूर्तियाँ बेच, डेस्क टेबुल अलमारी कुर्सी हेतु	बेच बड़ा डेस्ट 334000.00	333960.00	40.00	शून्य	141–2 / 28.3.12
		बेच डेस्क व्योरा 97200.00	97188.00	12.00	शून्य	141–2 / 28.3.12
		टेबुल –8900	शून्य	8900.00	शून्य	141–2 / 28.3.12
		गोदरेज कुर्सी– 5800.00	5798.00	2.00	शून्य	141–2 / 28.3.12
		आलमीरा– 17700.00	17656.00	44.00	शून्य	141–2 / 28.3.12
14	अनु0 जाति क्रीड़ा छात्रवृत्ति	66000.00	शून्य	66000.00	शून्य	141–2 / 28.3.12

15	अनु0 जन जाति क्रीड़ा छात्रवृत्ति	20000.00	शून्य	20000.00	शून्य	141–2 / 28.3.12
16	अनु0 जाति / जन जाति प्र0 वि0 / म0 कि0 छात्रवृत्ति –198 ग्राम पंचायत	27826000.00	27825120.00	880.00	शून्य	155–2 / 30.3.12 131–2 / 23.3.12 129–2 / 23.3.12
17	अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	3000000.00	2998320.00	1680.00	शून्य	154–2 / 30.3.12
18	प्रा0 वि0 प्रि0 मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्याशां केन्द्राश	700000.00	699840.00	160.00	शून्य	132–2 / 23.3.12
19	उ0 वि0 प्रिमैट्रिक छात्रवृत्ति – राज्यांश +केन्द्रांश	320000.00	319440.00	560.00	शून्य	132–2 / 23.3.12
20	उ0 वि0 छात्रवृत्ति –197 ब्लॉक पंचायत	8813000.00	8812800.00	200.00	शून्य	131–2 / 23.3.12
21	प्रा0 वि0 / म0 वि0 / उ0 वि0 छात्रवृत्ति–277 शहरी शिक्षा	3692000.00	3691800.00	200.00	शून्य	131–2 / 23.3.12
22	मुशहर छात्रवृत्ति –197 ब्लॉक पंचायत	1000000.00	999600.00	400.00	शून्य	131–2 / 23.3.12
23	मुशहर छात्रवृत्ति –198 ग्राम पंचायत	6743000.00	6742800.00	200.00	शून्य	131–2 / 23.3.12

परिशिष्ट "ख"

कंडिका '3' से संबंधित

राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, सहरसा, शिर्ष 2225 के आवंटन व्यय वर्ष 2010–11

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत की राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यार्पण के पत्रांक / दिनांक
1	स्थापना (वेतन एवं भत्ते)	718431.00	715665.00	2776.00	शून्य	371–2 / 31.3.11
2	कार्यालय व्यय	2500.00	2489.00	11.00	शून्य	"
3	यात्रा भत्ता	1500.00	शून्य	1500.00	शून्य	"
4	समग्री एवं पूर्त्तियाँ	20000.00	19452.00	548.00	शून्य	"
5	विद्युत प्रभार	14000.00	14000.00	शून्य	शून्य	"

राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, शीर्ष 2225 के आवंटन व्यय वर्ष 2011–12

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत की राशि	अधिक व्यय की राशि	प्रत्यार्पण के पत्रांक / दिनांक
1	वेतन	440000.00	438246.00	1754.00	शून्य	159–2 / 31.3.12
2	म0 भत्ता	227455.00	214542.00	12913.00	शून्य	"
3	मकान किराया	30044.00	30044.00	शून्य	शून्य	"
4	चि0 भत्ता	7000.00	6400.00	600.00	शून्य	"
5	अन्य भत्ता	2000.00	शून्य	2000.00	शून्य	"
6	यात्रा भत्ता	1500.00	शून्य	1500.00	शून्य	"
7	कार्यालय व्यय	2500.00	2499.00	1.00	शून्य	"
8	विद्युत मद	14000.00	14000.00	शून्य	शून्य	"
9	समाग्री एवं अपूत्तियाँ	20000.00	19973.00	27.00	शून्य	"

परिशिष्ट 'ग'

कंडिका –4 से संबंधित

जिला कल्याण कार्यालय सहरसा के स्वीकृत बल/कार्यरत बल/रिक्त बल की विवरणी :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	जिला कल्याण पदाधिकारी	01	01	–
2	प्रधान लिपिक	01	–	–
3	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	10	04	06
4	लिपिक	09	04	05
5	सांख्यिकी सहायक	01	01	–
6	चालक	01	–	–
7	टंकक	01	–	–
8	अनुसेवक	02	02	–
9	ग्रेन गोला चौकीदार	03	02	01

3. अम्बेदकर अवासीय उच्च वि0 अमरपुर के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल की सूची :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	प्रध्यानाध्यापक	01	–	01
2	स्नातक प्रशि0 शिक्षक	09	6+3 (अनुबंध)	–
3	मैट्रिक प्रशि0 शिक्षक	06	3+3(मानदेय)	–
4	लिपिक	01	–	–
5	अनुसेवक	03	01	02
6	रसोईया	04	03	01

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उच्च वि0 सहरसा के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल की सूची :–</u>

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	प्राचार्य	01	—	01
2	स्नातक प्रशि0 शिक्षक	09	01	08
3	व्यख्याता	06	—	06
4	कम्प्यूटर शिक्षक	01	—	01
5	रसोईया	04	02	02
6	रात्रि प्रहरी	02	—	02

अम्बेदक कल्याण छात्रावास के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल की सूची :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	रसोईयाँ	03	02	01

परिशिष्ट "घ"

कंडिका "5"से संबंधित

रूपये 2050.00 का खादय सामग्री का दुर्विनियोग की विवरणी :–

क्र0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम एवं तथा तिथि	समग्री का नाम	मात्रा	दर	किमत	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	20/10–11	मो0 चाँद ओपल मीट विक्रेता सदर बाजार सहरसा 4.4.10	मीट (माँस)	5 kg	250/–	1250.00	18.8.10	
2	25/10–11	श्री मुरली घोष मुरील स्वीट कॉनर कायस्त टोला, सहरसा दिनांक– 2.4.10 दिनांक– 3.4.10 दिनांक– 4.4.10 दिनांक– 5.4.10	समोसा कचौड़ी समोसा कचौड़ी	48 पीस 50 पीस 50 पीस 48 पीस	3.50/– 3.50/– 3.50/– 3.50/–	168.00 175.00 175.00 168.00	18.8.10 18.8.10 18.8.10 18.8.10	
3	22/10–11	मो0 चाँद सब्जी विक्रेता हटिया गाँधी, सहरसा	कटहल करैला खीरा	4 kg 2 kg 2.6 kg	20/– 12/– 6/–	80.00 24.00 15.00	18.8.10 18.8.10 18.8.10	
					कुल योग–	2055.00		

परिशिष्ट ''घ''

कंडिका ''5''से संबंधित

वस्त्र मद की राशि रूपये 39000.00 नगद वितरण की विवरणी :–

क्र0	अभिश्रव सं0	विपत्र संख्या एवं कुल राशि	अभिश्रव का विवरण	वर्ग	दर	राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	1/10–11	160/10–11 रू0 77571.00	इला कुमारी	X	1500/–	1500.00	15.3.2011	नगद भुगतान नियम के विरूद्ध
2	2/10–11	''	मंजु कुमारी एवं अन्य 17 कुल –18 छात्रा	X	1500/–	27000.00	15.3.2011	''
3	3/10–11	''	आरती कुमारी एवं अन्य –3 कुल 4 छात्रा	X	1500/–	6000.00	15.3.2011	''
4	4/10–11	''	स्वीटी कुमारी एवं अन्य –2 कुल –3 छात्रा	X	1500/–	4500.00	15.3.2011	''

कुल– 26 छात्रा

योग– 39000.00

परिशिष्ट "च"

कंडिका "16" से संबंधित

बिना क्रय आदेश की आपूर्ति, अनियमित रूपये 24396.00 का विवरण :–

क्र0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम एवं पता, एवं इनमार्डल नम्बर एवं तिथि	सामान का नाम	मात्रा	दर	किमत	भुगतान तिथि एवं अभ्युक्ति
1	01/10–11	मे0 उत्सव डी0 बी0 रोड, सहरसा 198/17.2.2011	चम्मच स्टील तकीया स्वेटर फुल जूता चप्पल (लखानी) जंधीया (लड़की)	65 पीस 57 पीस 68 पीस 58 पीस 58 पीस 214 पीस	6/– 85/– 235/– 173/– 97/– 44/– 4 % vat	390.00 4845.00 15980.00 10034.00 5723.00 9416.00 46388.00 1785.00 44617.00	चेक सं0 092302/12.3.11 भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी अप्रस्तुत अभिश्रव अकस्मिकता पंजी में देन नहीं। जधीया का क्रय आदेश नहीं परन्तु अभिश्रव में अंकित।
2	03/10–11	मे0 के0 पी0 एण्ड सन्स, चाँदनी पथ नियर अशोक सिनेमा, सहरसा 65/17.	दरी स्टील थाली कटोरा स्टील ग्लास स्टील मच्छरदानी	53 पीस 53 पीस 53 पीस 53 पीस 57 पीस	185/– 80/– 45/– 35/– 115/–	9805.00 4240.00 2385.00 1855.00 6555.00	चेक सं0 092301/12.3.11 भण्डार पजी एवं

		2.11	स्वेटर (हाफ) कम्बल तौलिया टेप	68 पीस 57 पीस 107 पीस 214 पीस	225/- 315/- 70/- 35/- 4 % vat	15300.00 17955.00 7490.00 7490.00 73075.00 2810.00 70265.00	वितरण पंजी अप्रस्तुत/अभिश्रव अकस्मिकता पंजी में देने नहीं/तौलिया टेप का क्रय आदेश नहीं परन्तु आपूर्त्ति दिखाए गये।

(44617+70265 = 114882) कुल अभिश्रव बिना क्रय आदेश की आपूर्त्ति तथा भण्डर पुस्त एवं वितरण पंजी अप्रस्तुत की राशि – 9416 (जंधीया) + 7490.00 (तौलिया) + 7490 (टेप) = 24396.00

परिशिष्ट "छ"

कंडिका – 17 से संबंधित

उत्क्रमित बोर्ड परिक्षार्थी को रहने एवं आने जाने पर व्यय की गई राशि 5050.00 की विवरणी :–

क्र0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	प्राप्त कर्त्ता का नाम/पता	भुगतान कर्त्ता का नाम/पता	उद्धेश्य	भुगतान की गई राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	46/10–11	17/10–11	आलोक कुमार गंगजला, सहरसा तिथि –?	श्री सुनिल कुमार प्र0 क0 पदाधिकारी सह छात्रावास अधिक्षक अमरपुर	उत्क्रमित छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सम्मलित होने हेतु मकान किराया के रूप में भुगतान	2500.00	12.3.11	मकान किराया का अवधि अप्राप्त छात्रों की संख्या तथा रूम की संख्या प्रकार तथा दर अप्राप्त 1 तथा किरायों भुगतान का साक्ष्य अप्राप्त
2	46/10–11	18/10–11	चिरेजकी 12.3.10	"	छात्रों को अमरपुर से सहरसा आने जाने का मार्ग व्यय	600.00	12.3.11	गाड़ी संख्या BR-19B/0515 का प्रकार अप्राप्त तथा माह का प्राप्ति रसीद अप्राप्त।
3	214/11–12	22/11–12	विलास टमटम चालक 21.2.12	श्री राम लोचन यादव स0 शि0 सह छात्रावास अधिक्षक, अमरपुर	छात्रों के बक्सा ढुलाई अमरपुर से सहरसा एवं छात्रों का भाड़ा	279 बक्सा @ 35% =210.00 30 छात्रा @ 18%	12.3.11	बक्सा का ढुलाई भाड़ा 27x@35/- 210.00 के बदले 945/– हो चाहिए जो गलत हैं। भाड़े का प्राप्ति रसीद

						=540.00 750.00		अप्राप्त।
4	214/11–12	23/11–12	प्रशान्त कुमार सहरसा 29.2.12	''	छात्रों के बोर्ड परिक्षा में ठहरने हेतु रूम के किराया भुगतान	1200.00	12.3.11	अवधि 21.2.12 से 29.2.12 तक किराया भुगतान का साक्ष्य अप्राप्त। भुगतान का प्राप्ति रसीद अप्राप्त।
					कुल योग –	5050.00		

परिशिष्ट "ज"

कंडिका "19" से संबंधित

विशेष अंगीभूत योजना मद से रूपये 158854.00 का कम्प्यूटर क्रय की राशि का विवरण :–

क्र0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम एवं पता / तिथि	समान का नाम	मात्रा	दर	किमत	भुगतान तिथि	वैट की कटौती	अभ्युक्ति
1	8 / 10–11	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड सहरसा 17 / 15.5.10	एच पी0 लेजर प्रिंटर 1505	1	9490 / –	9490.00	3.6.10	380.00	
2	7 / 10–11	17 / 15.5.10 16 / 14.5.10 "	1 यू0 पी0 एस0 1 के0 भी0 वीच बैट्री 2 एन्टी मारम्मत 3 पेन ड्राईव 8 जी0 वी0 4 फैक्स मशीन	1 1 1 1	29372 / – 1183 / – 770 / – 6924 / –	29372.00 1783.00 770.00 6924.00	"		
3	6 / 10–11	17 / 15.5.10 15 / 13.5.10	डिजिटल फोटो कॉपी +पिन्टर्स	1	43750.00	43750.00	"	1530.00 1750.00	
4	5 / 10–11	17 / 15.5.10 12 / 13.5.10	स्पीकर मल्टी मिडिया	1	1500.00	1500.00	"	60.00	
5	4 / 10–11	17 / 15.5.10 11 / 12.5.10	स्टेवलाईजर 2KGA	1	5192.00	5192.00	"	208.00	
6	3 / 10–11	17 / 15.5.10 8 / 11.5.10	कम्प्यूटर Hez	1	30740.00	30740.00	"	1230.00	
7	1 / 10–11	17 / 15.5.10	वायरिंग चांज	–	–	3000.00	"	–	

		5/8.5.10							
8	2/10–11	17/15.5.10 6/9.5.10	कम्प्यूटर टेबुल कुर्सी	1+1	–	3350.00	"	–	
9	–	ओटो एण्ड हार्डवेयर स्टोर सहरसा 1446/26.10.10	बैट्री 12 volt	1	12000/–	12000.00	30.10.10	1500.00	
10	–	"	भाई क्रोटेक इन्भाटर	1	4327.00	4327.00	"	173.00	
11	–	1447/26.10.10	रमा ईलेक्ट्रीक हाउस सहरसा	–	–	425.00	"	–	
12	–	–/26.10.10					"		
						152023.00		6831.00	

कुल योग – 158854.00

परिशिष्ट "झ"

कंडिका "23" से संबंधित

क्रित समानों पर वैट/बिक्रिकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप रू0 20923.00 की राजस्व की क्षति का विवरण :–

क्र0	विपत्र सं0 एवं मद का नाम	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम एवं पता/तिथि	समान का नाम	मात्रा	दर	किमत	भुगतान तिथि	वैट की कटौती	अभ्युक्ति
1	विशेष अंगीभूत योजना	8	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड, सहरसा 17/15.5.10	एच0 पी0 लेजर पिटर्स – 1505	1	19490.00	19490.00	19490.00	380.00	3.6.2010
2	"	7	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड, सहरसा 16/15.5.10	यू0 पी0 एस0 – 1 के0 भी0 एंटी भयरेल पेन ड्राईव फैक्स मशीन	1 1 1 1	29372.00 1183.00 770.00 6924.00	29372.00 1183.00 770.00 6924.00	29372.00 1183.00 770.00 6924.00	1530.00	
3	"	6	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड, सहरसा 15/13.5.10	डिजीटल फोटो कॉपी मशीन	1	43750.00	47750.00	47750.00	1750.00	
4	"	5	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड, सहरसा 12/13.5.10	स्पीकर मल्टी मिडिया	1	1500.00	1500.00	1500.00	60.00	
5	"	4	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड, सहरसा 11/13.5.10	स्टेवलाईजर 2 के0 वी0	1	5192.00	5192.00	5192.00	208.00	

6	"	5	मे0 कम्प्यूटर वर्ल्ड, सहरसा 8/13.5.10	कम्प्यूटर लेट एच0 सी0 एल0	1	30740.00	30740.00	30740.00	1230.00	
7	"	-	मे0 ओटो एण्ड हार्डवेयर स्टोर सहरसा 1446/26.10.10	बैकी 12 भोल्ट	1	12000.00	12000.00	12000.00	1500.00	
8	"	-	मे0 ओटो एण्ड हार्डवेयर स्टोर सहरसा 1447/26.10.10	इन्भाटर	1	4327.00	4327.00	4327.00	173.00	
9	अन्य पिछड़ी जाति के अ0 वि0 के योजना आदि मद	1/10–11	मे0 उत्सव वी0 डी0 रोड सहरसा 198/17.2.11	स्टील चम्मच तकीया स्वेटर फुल जुता चप्पल (लखानी) जंधीया (लड़की का)	65 पीस 85 पीस 68 पीस 58 पीस 59 पीस 214 पीस	61/– 85/– 235/– 173/25 97/– 44/–	390.00 4845.00 15980.00 10048.00 5723.00 9416.00 46402.00	1785.00	12.3.11	
10	"	2/10–11	निखिल ईंटर प्राईजेज मेन रोड, गंगजल सहरसा 121/17.2.2011	विछावन चादर तकीया कभर मौजा सूती जूता चप्पल	57 पीस 56 पीस 59 पीस 51 पीस	120/– 30/– 26/– 400/–	6840.00 1680.00 1534.00 20400.00 30454.00	1171.00	12.3.11	
11	"	3/10–11	मे0 के0 पी0	दरी	53 पीस	185/–	9805.00	2810.00	12.3.11	

			एण्ड सन्स चान्दनी पथ, नियर अशोक सिनेमा, सहरसा 65/17.2.11	स्टील थाली कटोर स्टील ग्लास स्टील मच्छरदानी स्वेटर हॉफ कम्बल तौलिया टेप	53 पीस 53 पीस 53 पीस 57 पीस 68 पीस 57 पीस 107 पीस 214 पीस	80/– 45/– 35/– 115/– 225/– 315/– 70/– 35/–	4240.00 2385.00 1855.00 6555.00 15300.00 17955.00 7490.00 7490.00 73075.00			
12	″	—	मे0 के0 पी0 एण्ड सन्स चान्दनी पथ, नियर अशोक सिनेमा, सहरसा 85/9.6.11	चौकी	50 पीस	1233. 48/–	61674.00	8326.00	1.7.11	
							योग –	20923.00		

परिशिष्ट "ञ"

कंडिका "24" से संबंधित

वित्तिय वर्ष 2010–11 एवं 11–12 में असमायोजित अग्रिम की सूची :–

कुल– 312930.00

क्र0 सं0	दिनांक	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पदनाम	प्रायोजन	राशि	अभ्युक्ति
1	19.10.2011	श्री अजय कुमार, प्र0 क0 पदा0	पटना जाने हेतु	500.00	
2	19.4.2010	श्री नरेश पासवान, प्र0 क0 पदा0	पटना जाने हेतु	500.00	
3	16.5.2010	श्री जय किशोर पासवान, रसोईया	पटना जाने हेतु	300.00	
4	17.9.2011	श्री चन्द्रदेव शर्मा, ग्रेन गोला चौकीदार	पटना जाने हेतु	2500.00	
5	8.12.11	श्री महेन्द्र प्र0 यादव, स0 शिक्षक, अ0 पि0 वर्ग क0 आ0 उ0 वि0 सहरसा	मेस चालाने हेतु	186105.00	
6	13.8.11 से 25.1.12	श्री मुकेश पासवान, छात्रनायक आ0 उ0 वि0 गांधी पथ सहरसा	छात्रावास संधारण हेतु	3000.00	
7	14.2.12	श्री राम लोचन प्र0	मेस संचालन हेतु	39175.00	

		यादव स0 शि0 सह छात्रावास अधिक्षक अ0 आ0 उ0 वि0 अमरपुर			
8	12.10.11	श्री अमरेन्द्र कुमार यादव, रसोईयाँ	पटना जाने हेतु	100.00	
9	29.10.11	श्री देवेन्द्र ठाकुर, रसोईयाँ	पटना जाने हेतु	800.00	
10	15.12.11	श्री योगेन्द्र महतो, अनुसेवक	पटना जाने हेतु	200.00	
11	21.3.12	श्री भूपेन्द्र प्र0 यादव, सं0 शि0 सह छात्रावास अधीक्षक, अ0 अनु0 उ0 वि0 सहरसा	मेस संचालन हेतु	52830.00	
12	14.3.12	श्री रूसतम न्यू लाईट टेर्लस	सिलाई हेतु	9440.00	
13	19.3.12	मो0 इसराईल खाँ, न्यूप्रेडस टेर्लस, कोशी रोड, सहरसा	सिलाई हेतु	17480.00	
			योग–	312930.00	

दिनांक– 1.4.2010 का प्रा0 शेष – 3096371.00

बकाया वर्ष 10–11 एवं 11–12 का अग्रिम – 312930.00

3409301.00

1.4.10 के पूर्व लिए गये आग्रिम का

समायोजन वर्ष 10–11 एवं 11–12 में (–) 897544.00

अग्रिम की अवशेष राशि 31.3.12 को शेष – 2511757.00